जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./13/डी–1359 दिनांक:– 28.9.13

JDA/EDPM-1136
30-9-13

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 101वीं बैठक दिनांकः 26.09.13 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		101:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक सं. 99 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि व पूर्व बैठको में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक सं. 99 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2.	7	101:2	एमसीडब्ल्यूसी एवं पीपी सेन्टर चिकित्सालय चौडा रास्ता जयपुर को चित्रकूट योजना के प्रताप स्टेडियम मे शिफ्ट करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 26.04.12 में लिये गये निर्णयानुसार वर्तमान में एमसीडब्ल्यूसी एवं पीपी सेन्टर चौडा रास्ता जयपुर को प्रताप स्टेडियम चित्रकुट योजना में प्राधिकरण द्वारा नव निर्मित भवन जो कि अनुमोदित मानचित्र में डिस्पेन्सरी के लिए आरक्षित है, मे पूर्णतः अस्थायी रूप से शिफ्ट करने की स्वीकृति जविप्रा के पत्र दिनांक 16.09.13 द्वारा जिन शर्तो के अधीन दी गयी है, उसका पोस्ट फेक्टो अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा आयुक्त महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कर विचार विमर्श पश्चात् निम्नानुनसार निर्णय लिया गयाः–				
3.	4	101:3	राधागोविन्द एस्टेट प्रा. लि. को ग्राम सूरजपुरा घाटी के खसरा.नं. 185 व 187 की जविप्रा स्वामित्व की 200 वर्ग मीटर भूमि के बदले निजी खातेदारी की 200 वर्ग मीटर भूमि विनिमय करने बाबत।	राधागोविन्द एस्टेट प्रा. लि. ने ग्राम सूरजपुरा घाटी के खसरा नं. 185 व 187 की जविप्रा स्वामित्व की 200 वर्ग मीटर भूमि के बदले निजी खातेदारी की 200 वर्ग मीटर भूमि विनिमय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की भूमि के खसरा नं. 186/1 के उत्तर पूर्वी कोने में से 30 फीट गुणा 72 फीट अर्थात 200 वर्ग मीटर भूमि 200 फीट रोड पर खुलता हुआ भूखण्ड जविप्रा को समर्पित करने का प्रस्ताव दिया है। समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर जविप्रा स्वामित्व की खसरा नं. 185 व 187 की 200 वर्ग मीटर भूमि के एवज में उक्त भूमि विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
		101:4	सावित्री फूले एज्यूकेशन एण्ड वैलफेयर सोसायटी को सी.बी.एस.ई. आवासीय विद्यालय, कन्या महाविद्यालय व आई.टी.आई. हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	सावित्री फूले एज्यूकेशन एण्ड वैलफेयर सोसायटी ने सी.बी.एस.ई. आवासीय विद्यालय, कन्या महाविद्यालय व आई.टी.आई. हेतु ग्राम राजाराम पुरा तह आमेर में स्थित आवासीय व संस्थानिक योजना में 24,282 वर्ग मीटर भूमि आवंटन चाहा है। संस्था के अध्यक्ष को सुना गया। संस्था द्वारा वर्तमान में कक्षा 5 तक का विद्यालय स्वयं की भूमि पर संचालित किया जा रहा है। संस्था की वित्तीय लेखों के अवलोकन पश्चात समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्था को सी.बी.एस.ई. आवासीय विद्यालय हेतु ग्राम राजाराम पुरा की संस्थानिक योजना में 5500 वर्ग मीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंसा राज्य सरकार को की जावे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

5.	4	101:5	राजस्थान ढोली महासभा जयपुर को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत।	राजस्थान ढोली महासभा द्वारा सामुदायिक सभा भवन, केन्द्रीय सभाभवन, छात्रावास हेतु सिद्धार्थ नगर, जगतपुरा क्षेत्र में 12,500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन 4 द्वारा ग्राम मनोहरपुरा तह. सांगानेर के खसरा नं. 273 रक्बा 5.79 हेक्टेयर खसरा नं. 282 रक्बा 11.41 हेक्टेयर किस्म चरागाह व खसरा नं. 274 रक्बा 0.71 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क में एक योजना जिसका नक्शा पी.डब्ल्यू.सी में अनुमोदित है, में से 3000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु एजेन्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा में स्थित होने के कारण नविवि के आदेश दिनांक 04.04.13 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा आवंटन नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 3(567)नविवि/3/2013 दिनांक 13.09.13 से राजस्थान ढोली महासभा जयपुर को सामुदायिक भवन व छात्रावास हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 3000 वर्ग मीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था के रजिस्ट्रेशन को 3 वर्ष पूर्ण नहीं होने, भूमि की किस्म चरागाह होने व भूमि नगर निगम सीमा में स्थित होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 101वीं बैठक दिनांक 26.09.13 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री अभय कुमार, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जवडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री दीपक नन्दी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
6.	श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री लोकेश सहल, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
9.	श्री प्रवीण अग्रवाल, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
10.	श्री शक्ति सिंह सिसोदिया, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित